



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं. - 0)

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल अररिया।

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, अररिया।

पटना 14, दिनांक- 01/01/2020

विषय - अररिया जिलान्तर्गत NH-327 E अररिया-रानीगंज (99.00-101.00 कि०मी०) पथांश पर ROB एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.27 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/26423/2017/2976 दिनांक 01.03.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक FC-214 दिनांक 11.03.2019

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 0.27 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है-

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 0.27 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 1,69,020/- (रुपये एक लाख उनहत्तर हजार बीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या-3 के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 38,37,922/- (रुपये अड़तीस लाख सौतीस हजार नौ सौ बाईस) मात्र का प्राक्कलन मजदूरी दर रु० 277 प्रति मानव दिवस पर तैयार कर वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया के पत्रांक 2217 दिनांक 30.12.19 द्वारा उपलब्ध कराई गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
3. उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 40,06,942/- (रुपये चालीस लाख छः हजार नौ सौ बियालीस) मात्र को मंत्रालय के वेब-साइट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कडिका 1 से 10 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-व.सं. - ०१

दिनांक- ०१/०१/२०२०

प्रतिलिपि- वन संरक्षक पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।